रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०--41

लाइसेन्सड् पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 अप्रैल, 1988

चैत्र 15, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 488/सत्रह-वि-1-1(क)/4-1988

लखनऊ, दिनांक 4 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) धारा 3 पहली जनवरी, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2 और 4 पन्द्रह जनवरी, 1988 से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में उपधारा (1) में, खंड (ङ) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।"

धारा 50 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 50 में,--

(क) उपधारा (1-क), में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "3 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे।

कार्य परिषद् के कुछ वर्तमान सदस्य जो अब सदस्य नहीं रह जायेंगे

4--इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसी कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जायगा।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय
सचिव।

No. 488 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 4-1988

Dated Lucknow April 4, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 14, 1988 :

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1988

[U. P. Act No. 9 of 1988]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1988.

(2) Section 3 shall be deemed to have come into force on January 1, 1988 sections 2 and 4 shall be deemed to have come into force with effect from January 15, 1988 and the remaining provisions shall come into force at once.

63

2. In section 20 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) in clause (*g*) the following proviso shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 20 of President's Act no.10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

"Provided that one of the persons so nominated shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or High Court".

3. In section 50 of the principal Act,— Amendment of section 50

(*a*) in sub-section (1-A), *for* the word and figures "December 31, 1987" the word and figures "December 31, 1990" shall be *substituted*, and

(*b*) in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 1987" the word and figures "December 31, 1990" shall be *substituted*.

4. With effect from the commencement of this section a person nominated as a member of the Executive Council under clause (*g*) of sub-section (1) of section 20 of the principal Act before such commencement shall cease to be a member of such Executive Council. Certain existing members of the Executive Council to cease

U. P. Ordinance no. 3 of 1988

5. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 7 ला० (विधा०)—(25)—1988—8.50 (मे०)।